महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की एक अनुषंगी)

चौथी वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा
2018-19

पंजीकृत कार्यालय: जागृति विहार, बुर्ला,
संबलपुर, ओडिशा, 768020

विषय सूची

क्रमांक.		पृष्ठ संख्या
1.	कंपनी की जानकारी	
2.	निदेशक मंडल	
3.	वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना	
4.	निदेशकों के प्रतिवेदन	
5.	लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन	
6.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	
7.	31 मार्च, 2019 के अनुसार तुलन पत्र	
8.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि का विवरण	
9.	नगद प्रवाह विवरण	
10.	तुलन पत्र के गठित भाग की अनुसूची और लाभ-हानि का विवरण	
11.	लेखांकन नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियाँ	

कंपनी की जानकारी

वर्ष **2018 – 19** के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष	
श्री ओ.पी. सिंह	**(01.03.2019 से प्रभावी)**
श्री जे.पी. सिंह	**(28.02.2019 तक)**

श्री ए. हुशेन	**(22.03.2019 तक)**
श्री एल.एन.मिश्रा	**(31.12.20118 तक)**
श्री एस.के.मोहंती	**(01.06.2016 से प्रभावी)**
श्री एस.एल.गुप्ता	**(25.08.2016 से प्रभावी)**
श्री के.आर.वासुदेवन	**(12.02.2018 से प्रभावी)**
श्री डी.सभलोक	**(01.05.2017 से प्रभावी)**
श्री ए नरेंद्र	**(02.08.2017 से प्रभावी)**

श्री एस. सी.राय	**सीईओ/सीओओ**	(सीओओ 18.08.2018 **से प्रभावी एवं सीईओ** 05..09.2018 **से प्रभावी**)
श्री **के.वी.वी.राजू**	**सीएफ़ओ**	(31.03.2019 तक)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

पी. के. स्वर्णकर	सीएफ़ओ	(------से प्रभावी)

सांविधिक लेखापरीक्षक	**बैंकर्स**
बिजय धनिराम एंड कं. चार्टर्ड अकाउंटेंट मारवाड़ी पाड़ा, धोबीगली,संबलपुर, ओड़िशा- 768001,	भारतीय स्टेट बैंक, एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर - 768020 आईसीआईसीआई बैंक सचिवालय मार्ग बर्मा नगर, यूनिट-4, भुवनेश्वर -751001

पंजीकृत कार्यालय
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओड़िशा- 768020

दिनांक 03.06.2019 के अनुसार निदेशक मण्डल

अध्यक्ष

श्री ओ. पी. सिंह	(01.03.2019 से प्रभावी)

निदेशक

श्री ए. नरेंद्र	(02.08.2017 से प्रभावी)
श्री डी. सभलोक	(01.05.2017 से प्रभावी)
श्री एस. एल. गुप्ता	(25.08.2016 से प्रभावी)
श्री एस. के. मोहंती	(01.06.2016 से प्रभावी)
श्री के. आर. वासुदेवन	(12.02.2018 से प्रभावी)
श्री अनवर हु सैन	(22.03.2019 से प्रभावी)

चौथी वार्षिक आम बैठक की सूचना

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड की चौथी वार्षिक आम बैठक की सूचना दी जाती है जो निम्न व्यवसाय के लेन – देन के लिए दिनांक 14 जून 2019 को दोपहर 12.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर, ओड़िशा -768020 में आयोजित होगी।

सामान्य व्यवसाय :

1. 31 मार्च, 2019 तक लेखा परीक्षित तुलनपत्र सहित 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी और उस वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और निदेशक मण्डल के रिपोर्ट, वैधानिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट पर विचार करने और उन्हें अपनाने के लिए।
2. श्री के. आर. वासुदेवन, निदेशक (डीआईएन -07915732) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने के लिए, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के संदर्भ में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण खुद को पुन: नियुक्ति के लिए पेश करेंगे।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 और धारा 139 (5) के साथ पढ़ा जाए जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तथा आगे कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को ठीक करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना और इसके बाद साधारण संकल्प के साथ या बिना संशोधन के, निम्न संकल्प पारित करने हेतु।

   "यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2019-20 और उसके बाद के लिए धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के निदेशक मंडल और इसके द्वारा कंपनी के लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने के लिए अधिकृत किया गया है। `

निदेशक मण्डल के आदेशार्थ
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के लिए
ह/-
(के. आर. वासुदेवन)
निदेशक
डीआईएन : 07915732

स्थान : सम्बलपुर
दिनांक : 03.06.2019

निदेशकों के प्रतिवेदन

प्रिय सदस्यों

आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल की ओर से वर्ष 2018-19 के लिए आपकी कंपनी के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन के साथ समेकित वित्तीय लेखा प्रतिवेदन, सांविधिक लेखा परीक्षक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणी प्रस्तुत करना मेरे लिये गर्व एवं सौभाग्य की बात है।

1. एम.सी.आर.एल. की परियोजना का संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 11.09.2015 को आयोजित पहली निदेशक मण्डल की बैठक के दौरान एम.सी.आर.एल. ने अंगुल-बलराम-जरापाडा और एक लाइन तेंटुलोई (68 किमी) खंड की पहचान अपनी पहली परियोजना के रूप में की है। इस परियोजना में मुख्य रूप से 3 लाइन जिनमें अंगुल-बलराम, बलराम-पुटागाडिया और जरापाडा-पुटागाडिया-तेंटुलोई शामिल हैं। गलियारे के अंगुल-बलराम लाइन के लिए भूमि एमसीएल द्वारा पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है। रेलवे अधिनियम के तहत बलराम-पुटागरिया और जरापाडा-पुटागाडिया-तेंटुलोई लाइन के लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है। पूरे परियोजना को रेलवे विशेष परियोजना के रूप में घोषित किया गया है।

2. <u>कार्य निष्पादन की मुख्य बातें</u>

क. <u>एमसीआरएल कार्यालय की स्थापना :-</u>

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड ने कोयले की निकासी हेतु ओडिशा राज्य के तालचेर क्षेत्र में रेल गलियारे के विकास के लिए प्लॉट नं – A/32, खारवेल नगर, सचिवालय मार्ग भुवनेश्वर में 11 मंजिला ओएसएचवी बिल्डिंग के 5वीं मंजिल पर अपने कार्यालय की स्थापना की है। कार्यालय ओएसएचवी बिल्डिंग में दिनांक 01.02.2017 से कार्यरत है।

ख. <u>विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.):</u>

दिनांक 27.10.2017 को अंगुल-बलराम-पुटागाडिया-जरापाडा के डीपीआर और तेंदुलोई (लगभग 68 किलोमीटर) तक एक लाइन को रेलवे बोर्ड द्वारा सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। दिनांक 31.01.2018 को पूर्व तट रेलवे द्वारा डी.पी.आर. को अंतिम मंजूरी प्रदान की गई। 60% की बढ़ी हुई माइलेज की स्वीकृति तथा रेलवे परियोजना के लिए सी.ओ.एम., ईस्ट कोस्ट रेलवे ने दिनांक 29.01.2018 को रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा। रेलवे से मंजूरी अब तक प्राप्त नहीं हुई है। निर्माण के दौरान मुद्रास्फीति, परियोजना प्रबंधन और ब्याज सहित परियोजना की कुल लागत 1700 करोड़ रुपये है।

<u>ग) स्टैकहोल्डर के साथ बैठक :</u>

दिनांक 08.11.2016 को ओ-डी यातायात अध्ययन में शामिल खनन योजना एवं यातायात के संबंध में भावी स्टैकहोल्डर अर्थात नेशनल थर्मल पवार कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी), नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको), सींगरेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) एवं ओड़िशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएमसी) के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी।

घ) भूमि :

व्यापक गलियारे के लिए रेलवे, सड़क और पानी की पाइप को समायोजित करने हेतु आईडीसीओ ने मैसर्स ब्राह्मनी रेलवे लिमिटेड के लिए भूमि अधिग्रहण योजना की शुरुआत की है। मैसर्स ब्राह्मनी रेलवे लिमिटेड/आईडीसीओ की भूमि आवश्यकताओं के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत ओडिशा सरकार ने मई, 2015 को 6(1) अधिसूचना प्रकाशित की।

दिनांक-21.03.16 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भूमि की चौड़ाई को कम कर केवल रेल लाइन एवं इसके रख-रखाव, सड़क के लिये आवश्यक अतिरिक्त भूमि को समायोजित किया जायेगा। तदनुसार नवीनतापूर्वक सर्वेक्षण किया गया एवं निर्धारित भूमि को संशोधित किया गया।

एम.सी.आर.एल. गलियारे का पूरा एलाइनमेंट मेसर्स ब्राह्मणी रेलवे लिमिटेड / आईडीसीओ की अधिसूचित भूमि सीमा के भीतर सामरिक महत्व के रूप में रखा गया। अब इस पूरी परियोजना को रेलवे स्पेशल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया है तो द गजट ऑफ इंडिया के अधिसूचना संख्या 4171 दिनांक 23 अक्टूबर 2018 का अवलोकन करें,इसके पश्चात भूमि अधिग्रहण रेलवे एक्ट के जरिए किया जाएगा।

ड़) **स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति:**
वर्ष 2014 में रेलवे के अनुच्छेद-20 के अंतर्गत संयुक्त उद्यम मॉडल में हुए समझौते के तहत् यह अनिवार्य किया गया कि कंसेसियनर अर्थात एमसीआरएल द्वारा आंचलिक रेलवे के अनुमोदित सूची में से एक स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति की जाएगी, जो इरकॉन द्वारा प्रस्तुत डिजाइन एवं ड्राइंग की जाँच करेगा, जिसे ईस्ट कोस्ट रेलवे की अनुमोदित सूची से उपरोक्त परियोजना को प्रवर्तन में लाने हेतु स्वतंत्र अभियंता के रुप में नियुक्त भी किया जा सकेगा। स्वतंत्र अभियंता के नियोजन की प्रक्रिया जारी है।

च) ऋण के लिए बैंक के साथ संबंध स्थापित करना:
वित्तीय अध्ययन के अनुसार अनगुल-बलराम–पुटगाड़िया–टेंटुलोई–जरापाड़ा रेल गलियारे के विकास हेतु कुल खर्च आईएनआर 1700 करोड़ रुपए होंगी। प्रमोटर से 30% इक्विटी लेने के पश्चात्, वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में लगभग 1190 करोड़ रुपए लेने की आवश्यकता होगी। वित्तीय सलाहकार संलग्न करने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई की गई।

छ) अनगुल-बलराम खंड का निर्माण :
निदेशक मंडल के 6वीं बैठक के दौरान यह चर्चा की गई थी कि वित्तीय समापन के बावजुद भी अनगुल-बलराम के बीच कार्य किया जाएगा। परियोजना के इस हिस्से के लिए आवश्यक निधि की व्यवस्था एमसीएल द्वारा ऋण के रुप में की जाएगी। तदनुसार मैसर्स इरकॉन (IRCON) ने अंगुल बलराम अनुभाग का कार्य मेसर्स लक्ष्मी इंटरप्राइज़ झारखंड को दिनांक 16.11.2018 को अनुमानित लागत 64.69 करोड़ के साथ सौंपी तथा जिसे 09 महीने की अवधि में पूरा करना है।

एमसीआरएल ने एमसीएल से उपरोक्त सेक्शन के निर्माण के लिए 145 करोड़ रुपये के फंड की व्यवस्था करने का अनुरोध किया तथा प्राधिकृत पूंजी के लिए 510 करोड़ रु. और चुकता पूंजी के लिए 300 करोड़ की राशि बढ़ाने हेतु सहमति मांगी। हालांकि, स्टैकहोल्डर, जैसे- इरकॉन और इडको से सहमति अब तक प्राप्त नहीं हुईहै।

ज) बाहरी गलियारे का सर्वेक्षण :

दिनांक 11.09.2015 को एमसीआरएल के प्रथम निदेशक मंडल की बैठक में, 'आउटर कॉरिडॉर' के रूप में नामित अन्य गलियारे जैसे – टेंटुलोई-बुधपंक वाया तालबीरा, चन्द्रबिला, साखिगोपाल, को लगभग 106 किलोमीटर को कंपनी द्वारा चिन्हित किया गया। अंगुल बलराम –पुटागाडिया-टेंटुलोई–जारापाड़ा रेल गलियारे की शुरुआत के पश्चात तथा परियोजना की व्यवहार्यता पर विचार करते हु एइस गलियारे की प्रारम्भिक शुरुआत करने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

झ) टेंटुलोई से ओ.एम.सी खान का संयोजन:

ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव ने मैसर्स ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के खनन योजना की समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया कि टेंटुलोई से वैतरणी (पश्चिम) का संयोजन रेल द्वारा किया जायेगा। बैठक का कार्यवृत्त एवं एमडी/ओएमसी के अनुवर्ती पत्र के द्वारा एमसीएल मुख्यालय को दिनांक-02.03.2017 को सूचित किया गया कि भविष्य में यह कार्य एमसीआरअएल के पश्चिम गलियारे का हिस्सा होगा, इस बात को ध्यान में रखते हु एइरकॉन का सर्वेक्षण एवं व्यवहार्यता रिपोर्ट/डीपीआर प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

2. <u>संगठन</u>

ओडिशा राज्य के रेल गलियारे के वाहनों को खास प्रयोजन(एस.पी.वी.) के अनुकूल बनाये जाने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड और ओडिशा औद्योगिक विकास संरचना निगम (इडको) के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए, इस तरह महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) को 31 अगस्त, 2015 से एक पृथक कंपनी के रूप में 64:26:10 के सहभागिता अनुपात में शामिल किया गया। इस जोखिमपूर्ण कार्य को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के प्रशासनिक सहयोग से पूर्ण किया गया। रेलवे की ओर से इसे तकनीकी सहायता और एमसीएल की ओर से व्यावसायिक समर्थन मिला, जिससे कोयला खदाने तार्किक चुनौतियों का सामना कर सके। रेल के बुनियादी ढांचे और रेल गलियारों के बाहर यातायात से उत्पन्न राजस्व के बटवारे में निवेश करके एक सहभागी व्यापार मॉडल के माध्यम से उद्यम को बनाए रखने पर विचार किया गया है।

समझौता ज्ञापन के अनुरूप इडको के इक्विटी शेयर के तहत भूमि का मूल्य 10% या उससे अधिक होने पर ओडिशा सरकार द्वारा उसे उपलब्ध कराया जाएगा। यदि दी गई भूमि का मूल्य ओडिशा सरकार ने 10% से अधिक बढाया हो तो आईडीसीओ और एमसीएल की हिस्सेदारी के प्रतिशत को उसी हिसाब से संशोधित किया जाएगा। यदि ओडिशा सरकार को राज्य सरकार के द्वारा भूमि का स्वामित्व मिला है तो (राजस्व और वनभूमि) के मूल्य के अनुरूप ही समायोजित किया जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन योजना संबंधित विविध प्रस्ताव, क्षतिपूर्ति वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य, वन्यजीव प्रबंधन योजना, सीमांकन की लागत एमसीआरएल द्वारा की जाएगी। रेलवे परियोजनाओं पर डोमेन विशेषज्ञता रखने और दो चरणों में निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में IRCON के माध्यम से कार्य करने हेतु प्रारंभिक गतिविधियों को करने की कल्पना की गई है। संपत्ति के रखरखाव, छूट और संचालन के लिए एमसीआरएल रेल मंत्रालय के साथ अलग समझौते में प्रवेश करेगा।

3. <u>पूँजीगत संरचना</u>

वर्ष के दौरान किए गए समीक्षा के अनुसार कंपनी के किसी भी प्राधिकृत, जारी एवं चुकता पूँजी में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा जिसकी कीमत रू 5.00 .लाख तय है। ईक्विटी शेयर धारक स्वरूप के समर्थन वाली कंपनियां

निम्नलिखित हैः

संस्थापक कंपनी का नाम	31.03.2019 के अनुसार शेयरहोल्डिंग पैटर्न	31.03.2018 के शेयर होल्डिंग पैटर्न
1. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	64%	64%
2. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	26%	26%
3. ओडिशा औद्योगिक संरचना विकास निगम	10%	10%
कुल	100%	100%

4. <u>वित्तीय परिणाम</u>-

वित्तीय वर्ष 2018-19 के वित्तीय परिणाम निम्नानुसार है -

विवरण	31.03.2019 (रु.) को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष की आय	0.52
वर्ष में होने वाले व्यय से अवमूल्यन और ऋण परिशोधन व्यय को छोड़कर	1.53
लाभ या हानि के पूर्व अवमूल्यन और परिशोधन व्यय	(1.01)
घटाव : अवमूल्यन और ऋण परिशोधन व्यय	0.00
अवमूल्यन और ऋण परिशोधन व्यय के पश्चात् परंतु कर पूर्व लाभ या हानि	(1.01)
घटाव : चालू कर	0.00
कर के पश्चात लाभ या हानि	(1.01)

कंपनी निर्माण स्थिति में है और उसे परिचालित करने की गतिविधियों को अभी प्रारंभ नहीं किया गया हैं। अत: सभी संबंधित व्यय कंपनी के द्वारा किए जाते हैं जिसे प्रत्यक्ष रूप से परियोजना के वित्तीय वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान पूँजीकृत किए गए हैं तथा अन्य अप्रत्यक्ष व्यय पर “लाभ और हानि" विवरण पर चार्ज किया गया हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (धारक कंपनी) से रूपये 4249.58/- लाख की असुरक्षित अल्पावधि ऋण ली है।

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 की शर्तों तथा सुसंगत अधिनियम के प्रावधान और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी किए गए और लागू होने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अंतर्गत भारत में स्वीकृत लेखाकंन सिद्धान्त (इंडियन जी.ए.ए.पी.) के अनुसार कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है। एक नए जारी किए गए लेखांकन मानक, को यदि प्रारंभ में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो, तो लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया जाएगा। प्रबंधन द्वारा सभी नवीनतम आधार पर जारी किए गए या संशोधित लेखा मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। कंपनी के स्टंडरलोन लेखा परीक्षाओं के वित्तीय परिणाम का खुलासा तिमाही और वार्षिक आधार पर किया जाता है।

5. <u>लाभांश</u>

कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी लाभांश को घोषित नहीं किया है।

6. <u>रिजर्व</u>

कंपनी ने रिजर्वों में किसी भी राशि का हस्तांतरण नहीं किया है।

7. <u>सरकारी राजकोष से अंशदान</u>

शून्य

8. <u>अनुषंगी संयुक्त उद्यम कंपनियाँ-</u>

आपकी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसकी कोई आनुषंगी/ संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

9. <u>जमा</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 तथा इसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा राशि स्वीकृत नहीं की है।

10. <u>जोखिम प्रबंधन</u>

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए कंपनी के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आकलन और उसके नियंत्रण हेतु अंतर्निहित जोखिम, बाहरी और आंतरिक, आवश्यक नियंत्रण उपायों के कारण जोखिम प्रभावों को नियमित तौर पर महत्व देता है। प्रबंधन नियमित रूप से सभी महत्पूर्ण कार्यों पर नजर रखता है।

11. <u>संबंधित पार्टी से लेनदेन</u>

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज किए गए सभी संबंधित पार्टी लेनदेन आर्म्स लेंथ आधार और व्यवसाय के ओर्डिनरी कोर्स में थे। कंपनी द्वारा प्रमोटरों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ निर्मित लेन-देन भौतिक रूप से महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं है, जिससे कि कंपनी के हित के साथ कोई संभावित संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।

12. <u>ऋण की गारंटी व निवेश का विवरण</u>

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2015 को जारी स्पष्टीकरण तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (4) और (11) के अनुसार किए गए निवेश का पूर्ण विवरण, दिए गए ऋण या गारंटी प्रदान किए गए सुरक्षा के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, और जिस उद्देश्य के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण या गारंटी या सुरक्षा का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया जाता है, उसका खुलासा किया गया है।

13. <u>सतर्क तंत्र व /विहसल ब्लोअर नीति</u>

एक सरकारी कंपनी के रूप में कंपनी की गतिविधियाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सतर्कता केंद्रीय जाँच ब्युरो आदि के द्वारा लेखा परीक्षा के लिए खुली होती हैं।

14. लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत निम्नलिखित लेखा फर्म को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया ।

मेसर्स विजय धनिराम एंड कंपनी,सनदी लेखाकार,मारवाड़ीपाड़ा, धोबीगली,
सम्बलपुर -768001, ओड़िशा

15. निदेशक मंडल

महानदी कोल रेलवे लिमिटेड में निदेशक मण्डल के सदस्यों की संख्या 7 (सात) है, जिनमें एमसीएल के अध्यक्ष तथा मनोनीत 2(दो) निदेशक, इरकॉन के मनोनीत 2(दो) निदेशक, इडको के मनोनीत 01 निदेशक तथा रेल मंत्रालय के मनोनीत 01 निदेशक शामिल हैं।

निदेशक मण्डल की संरचना दिनांक 31.03.2019 के अनुसार निमन्वत है :

क्र.सं .	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1.	ओ. .	अध्यक्ष	01.03.2019
2.	श्री के.आर. वासुदेवन	निदेशक	12.02.2018
3.	श्री अनवर हु शेन	निदेशक	22.03.2019
4.	श्री दीपक सभलोक	निदेशक	01.05.2017
5.	श्री एस.एल गुप्ता	निदेशक	25.08.2016
6.	श्री एस.के. मोहांती	निदेशक	01.06.2016
7.	श्री अभिजीत नरेंद्र	निदेशक	02.08.2017

16. बोर्ड की बैठकें-

केलेण्डर वर्ष 2018 में 05 बार बोर्ड बैठकें आयोजित की गई तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दिनांक 09.05.2018, 28.08.2018 तथा 26.12.2018 को 3 बार बैठक की गई, दो बैठकों के बीच 120 दिन से कम समय का अंतराल रहा। इस अवधि के दौरान बोर्ड के बैठकों तथा उपस्थित निदेशकों का विवरण निम्नानुसार है।

निदेशकों के नाम	श्रेणी/ नामांकित	बोर्ड की बैठक	
		कार्यकाल	उपस्थिति
श्री जे. पी. सिंह	अध्यक्ष ,गैर-कार्यकारी (एमसीएल)	03	03
श्री एल.एन मिश्रा	गैर- कार्यकारी (एमसीएल)	03	02
श्री के. आर. वासुदेवन	गैर- कार्यकारी (एमसीएल)	03	03
श्री एस.एल. गुप्ता	गैर- कार्यकारी (इरकॉन)	03	03
श्री दीपक सभलोक	गैर- कार्यकारी (इरकॉन)	03	01
श्री अभिजीत नरेंद्र	सरकार द्वारा नामित गैर- कार्यकारी (रेल मंत्रालय)	03	02
श्री एस. के. मोहंती	गैर- कार्यकारी (इडको)	03	02

17.<u>ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का आय एवं व्यय</u>

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) तथा कंपनी नियमावली 2014**,** के नियम 8(3) के साथ इसे पढ़ा जाए**,** जिसमें उर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेश, विदेशी मुद्रा के आय तथा व्यय से संबंधित जानकारी इस रिपोर्ट में संलग्नीत हैं।

18. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 को कंपनी नियमावली 2014 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा उनकी परिश्रमिक)**के नियम 5(2) के साथ पढ़ा जाए जिसमें कर्मचारियों को दिने जाने वाले पारिश्रमिक की जानकारी उपलब्ध हो।**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 को कंपनी नियमावली 2014 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा उनकी परिश्रमिक)के नियम 5(2) के अनुसार उपलब्ध जानकारी के तहत आपके कंपनी पर यह लागू नहीं होती क्योंकि कंपनी के कर्मचारी को आहरण रू 5,00,000/ हर माह या रू 60,00,000 प्रतिवर्ष से ज्यादा नहीं मिलता या आहरण प्रबंधकिय निदेशक या पूर्ण कालिक निदेशक या प्रबंध औऱ स्वयं नियंत्रण या किसी पति/पत्नी के और आश्रित बच्चे, हो तो तभी कंपनी के दो प्रतिशत इक्वटी शेयर मिलती हैं।

19.**<u>निदेशकों का दायित्वपूर्ण वक्तव्य-</u>**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के आवश्यकतानुसार माननीय सभी निदेशकों के दायित्वपूर्ण वक्तव्यों की पुष्टि -

1. 31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सामग्री निर्गत संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों (लेखा टिप्पणियों के खुलासे के अलावा) का अनुसरण किया गया है।
2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय सहित आकलन किया है, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि का सही तथा उचित जानकारी दी जा सके।
3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा रोकथाम करने हेतु कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
4. निदेशकों ने 31.3.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए क्रियाशील कारोबार 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर खातों को तैयार किया है।
5. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह के प्रणाली पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रही थी।

20. बैकर्स का नाम एवं पता:

क्र.सं.	नाम	शाखा का पता
1	भारतीय स्टेट बैंक	एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा,जागृति विहार,बुर्ला,संबलपुर
2.	आईसीआईसीआई बैंक	सचिवलय मार्ग, बर्मा नगर, यूनिट -04, भूबनेश्वर -751001

21. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी :

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखा पर की गई टिप्पणी इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

22. लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में दिए गए पर्यवेक्षण को संबंधित टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, जो स्वत: स्पष्ट है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत जिस पर किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट संलग्नित है।

23. आभार :

आपके निदेशकगण कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय और ओड़िशा सरकार,कोल इंडिया लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा ओडिशा इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन के प्रति उनकी बहुमूल्य सहायता, समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशकगण जिला प्रशासन तथा उन सभी के प्रति जिन्होंने रेल कोरिडोर के विकास में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समय-समय पर सहायता एवं सहयोग दिया है उनके प्रति आभार व्यक्त किया है।

आपके निदेशकगण सभी अंशधारियों को प्रबंधन का लगातार सहयोग देने तथा विश्वास बनाये रखने हेतु धन्यवाद एवं शुभकामनाएं देते हैं। आपके निदेशकगण कर्मचारियों एवं उनके संगठनों के सभी स्तरों पर प्रगति प्राप्त करने एवं लक्ष्य के निकट पहुँचने, अथक प्रयास और योगदान के लिए उनकी ऑन-रिकार्ड प्रशंसा करते हैं।

आपके वाणिज्य लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा ऑडिट बोर्ड-।।, कोलकाता, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय और कंपनी के रजिस्ट्रार, ओड़िशा के कार्यालय के पदेन सदस्य द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रशंसा दर्ज की है।

24. परिशिष्ट

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है **:**

1. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेश और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय से संबंधित सूचना (अनुलग्नक-।) में दी गई है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट(अनुलग्नक- ।।) में दी गई है।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी (अनुलग्नक- ।।।) में दी गई है।

दिनांक -03.06.2019
स्थान- सम्बलपुर

हस्ता/
(ओ. पी. सिंह)
अध्यक्ष

अनुलग्नक-I

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा का आय एवं व्यय

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (m) के तहत् सूचना जिसे कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) तथा निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के साथ पढ़ा जाए)

(क) ऊर्जा संरक्षण-

(i) उठाए गए कदम या ऊर्जा संरक्षण का प्रभाव: शून्य

(ii) कंपनी द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के उपयोग के लिए उठाए गए कदम: शून्य

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूँजीगत व्यय: शून्य

(ख) प्रौद्योगिकी समावेशन-

(i) प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किये गए प्रयास : शून्य

(ii) उत्पादन सुधार,लागत में कमी,उत्पादन विकस या आयात विकल्प आदि से प्राप्त लाभ: शून्य

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी (गत तीन वर्षों के दौरान आयातित जिसे वित्तीय वर्ष के शुरू से माना गया) के मामले में : शून्य

(iv) अनुसंधान एवं विकास पर किए गए व्यय: शून्य

(ग) विदेशी मुद्रा विनिमय आय एवं व्यय-

कंपनी का गठन 31 अगस्त, 2015 को हुआ है एवं इस तरह कोई गतिविधि प्रारंभ नहीं हुई है। विदेशी विनिमय के तहत् आय तथा व्यय से संबंधित कोई लेन-देन नहीं की गई है।

(लाख रूपये में)

विवरण	2018-2019
कुल प्राप्त विदेशी मुद्रा(निर्यात का एफ.ओ.बी. मूल्य)	-
प्रयुक्त कुल विदेशी मुद्रा :	
i) कच्चा माल	-
ii) उपयोग योग्य भंडार	-
iii) पूँजीगत सामग्री	-
iv) विदेश यात्रा	-
v) अन्य	-

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन **अनुलग्नक-II**

सेवा में

सदस्यगण, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी:

हमने 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न तुलनपत्र एवं लाभ-हानि लेखा के साथ-साथ उसी तिथि को समाप्त वर्ष के नकद प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों व अन्य विवरणात्मक सूची की लेखा परीक्षा की है। (तत्पश्चात स्टैंडअलोन को भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण के रुप में माना गया)।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

कंपनी अधिनियम 2013 ("दी एक्ट") की धारा 134(5) से संबंधित मामलों के निपटान हेतु कंपनी के निदेशक मंडल उत्तरदायी होंगे। इन विवरणियों में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का, भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 133, जिसे कंपनी (एकाउंट्स) रूल्स 2014 के नियम, 7 के साथ पढ़ा जाए, में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह के सत्य और सही प्रकटन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाए रखें जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए यथोचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करने,उचित व विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमान करने व ऐसी यथोचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू करने व बनाए रखने, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करती हो, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराती हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होनेवाले मिथ्याकथन से मुक्त हों ।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व:

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है।

लेखा परीक्षण करते समय हमने लेखा परीक्षा अभिलेखों में शामिल किए जाने वाले आवश्यक अधिनियम के प्रावधानों, अधिनियम के तहत ऐसे प्रावधानों को जो लेखा व लेखापरीक्षा मानकों एवं तदाधीन नियमों को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा किया। ये मानक नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार योजित व निष्पादित

किया कि हमें जो वित्तीय विवरण प्राप्त हुए उसमें किसी मिथ्याकथन के न होने के प्रति हम आश्वस्त हैं ।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणियों में राशि और प्रकटन के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय और वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है चाहे यह धोखे से हो अथवा चूक से।

इन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखापरीक्षक कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण और परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा अपनाने में वित्तीय विवरणियों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता व वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु, पर्याप्त और उपयुक्त है।

मत:

हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में हमें दी गई स्पष्टीकरण अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप है, वित्तीय विवरण की सूचना दी गई है। भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के समरूप कंपनी के मामले में **31/03/201**9 की स्थिति के अनुसार तथा उसी तरीख को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए नगद प्रवाह की सत्य और सही जानकारी प्रदान की है।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकाओं पर रिपोर्ट:

(i) भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार जारी यथासंशोधित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('दी आर्डर') में यथा वांछित लागू सीमा तक, हम आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण अनुलग्नक में देते हैं।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) की आवश्यकताओं के अनुसार हम इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-'ख' पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के निर्देशों के अनुसार विवरणी, लेखा परीक्षा की प्रक्रियानुसार इस पर की गई कार्रवाई तथा कंपनी के लेखा और वित्तीय विवरणी पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुपालन किया गया है।

अधिनियम की धारा 143(3) में यथावांछित सीमा तक हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास में सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारे मत में कंपनी ने विधि द्वारा वांछित उचित लेखा-बहियां रखी हैं, जहां तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट के साथ तुलन-पत्र, लाभ व हानि विवरणी और नगदी प्रवाह विवरणी लेखा-बहियों के संगत में हैं।

(घ) हमारे मत में, उपरोक्त वित्तीय विवरणी का अनुपालन कंपनी अधिनियम की धारा 133 में उल्लिखित लेखा मानक के साथ किया जाता है, जिसे कंपनीज (एकाउंट्स) नियम,2014 के नियम-7 के साथ पढ़ी जाए।

(ङ) निदेशक मंडल द्वारा अभिलेखित अनुसार दिनांक 31.03.2019 को कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर कंपनी का कोई भी निदेशक दिनांक 31.03.2019 को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक की नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं है।

(च) हमारे मत में, हमारी पूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनीज (ऑडिट एंड ऑडिटर्स) नियमावली, 2014 के नियम 11 से संबंधित अन्य मामलों को शामिल किया जाएगा।

i. **कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमा नहीं है जो उसके वित्तीय विवरणी में उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।**

ii. **कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिसके लिए कोई भी भौतिक संभावित नुकसान हुआ था ।**

iii. **कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोश को स्थानांतरित करने के लिए कोई राशि आवश्यक नहीं थी।**

तिथि: 29 अप्रैल,2019
स्थान: संबलपुर

कृते, विजय धनीराम एंड कंपनी
(अधिकृत लेखापाल)
पंजी. सं.- 324629ई

हस्ता/--
(विजय कुमार अग्रवाल)
स्वत्वधारी /प्रोपराइटर
सदस्यता संख्या: 060126

अनुलग्नक-क

लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन हेतु अनुलग्नक

("अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के अधिन उसी तारीख पर आपकी रिपोर्ट के अनुभाग के पैराग्राफ में संदर्भित किया जाता है।)

i) स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में :

क. कंपनी मात्रात्मक विवरण और निश्चित परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाये रखती है।

ख. उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा निश्चित संपत्तियों को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है।

ग. इस तरह के सत्यापन के तहत् किसी भी प्रकार की सामग्री विसंगतियां नहीं पायी गई है।

ii) वस्तु सूची के संबंध में:

वर्ष के दौरान कंपनी के पास सामग्री**,** पुर्जे और अपरिष्कृत सामग्री का कोई भंडार नहीं है।

iii) **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत सम्मिलित पक्षो का ऋण एवं अग्रिम**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत सम्मिलित पक्षो को वर्ष के दौरान कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया गया है।

iv) **ऋण, निवेश, गारंटी और प्रत्याभूति:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अनुपालन के संबंध मे कंपनी ने किसी प्रकार के ऋण/निवेश/गारंटी/सुरक्षा नहीं दी है।

v) **जनता से जमा धन को स्वीकार करना:**

हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा धन स्वीकार नहीं किया गया है इसलिए कंपनी पर यह खंड लागू नहीं होता।

vi) **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण:**

लागू नहीं।

vii) **संवैधानिक बकाया के संबंध में: शून्य**

viii) **बैंक या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के भुगतान में गबन:**

कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था या बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है**,** इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

ix**) प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर (ऋण दस्तावेज़ सहित) के माध्यम से धन उगाही तथा आवधिक ऋण उन उद्देश्यों के लिए लागू किए गए थे जिनके लिए ये लिए गए है।**

कंपनी ने प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर (ऋण दस्तावेज़ सहित) तथा आवधिक ऋण के द्वारा किसी धन की उगाही नहीं की है, यह खंड लागू नहीं है।

x) वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की रिपोर्ट (प्रकार और राशि):

हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी धोखाधड़ी की सूचना प्राप्त नहीं की गई है।

xi) प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई प्रबंधकीय परिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।

xii) **निधि कंपनी से संबन्धित**

लागू नहीं।

xiii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 व 188 का अनुपालन करते हुए संबंधित पक्षो का लेनदेन:

हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष के साथ कोई लेन-देन नहीं है

xiv) वर्ष के दौरान अधिमान्य आबंटन या शेयरों का निजी स्थापन या पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र:

कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किसी अधिमान्य आबंटन या शेयरों का निजी स्थापन या पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनिय ऋणपत्र तैयार नहीं किए है।

xv) कंपनी से जुड़े निदेशकों या व्यक्तियों के साथ गैर-नगद लेन-देन:

कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान उससे जुड़े निदेशकों या व्यक्तियों के साथ गैर-नगद लेन-देन नहीं किया है।

xvi) **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-1A के तहत पंजीकरण:**

लागू नहीं।

तिथि : 29 अप्रैल, 2019
स्थान : संबलपुर

कृते विजय धनिराम एंड कंपनी.
(सनदी लेखाकार)
पंजी. संख्या- 324629ई
ह/-
सनदी लेखाकार विजय कुमार अग्रवाल
प्रोपराइटर
सदस्य संख्या-060126

अनुलग्नक-ख

कंपनी अधिनियम, 2013 की 143 (5) के तहत दिशा-निर्देशों के अनुसरण में प्रतिवेदन ।

कंपनी : ***महानदी कोल रेलवे लिमिटेड .***

जागृति विहार, बुर्ला , सम्बलपुर - 768020

वित्तीय वर्ष : **2018-2019**

1. क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर के खातों की विश्वसनीयता पर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ को वित्तीय निहितार्थ, के साथ बताया जा सकता है, यदि कोई हो।	**लागू नहीं**
2. क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कर्ज / ऋण / ब्याज आदि के छूट / राइट ऑफ का मामला हुआ है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	**हमें दी गई जानकारी के अनुसार, लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान ऋण / ऋण / ब्याज आदि की छुट का कोई प्रकरण नहीं था।**
3. क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य धनराशि का नियमों और शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	**लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है**

तिथि : 29 अप्रैल, 2019

स्थान : संबलपुर

कृते विजय धनिराम एंड कंपनी.
(सनदी लेखाकार)
पंजी. संख्या- 324629ई
ह/-
सनदी लेखाकार विजय कुमार अग्रवाल
प्रोपराइटर
सदस्य संख्या-060126

अनुलग्नक –ग

कंपनी अधिनियम, 2013 की 143 (5) के तहत दिशा-निर्देशों के अनुसरण में प्रतिवेदन ।

कंपनी : ***महानदी कोल रेलवे लिमिटेड .***

जागृति विहार, बुर्ला , सम्बलपुर - 768020

वित्तीय वर्ष : **2018-2019**

1. क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय / विभाजन / पुनः संरचना के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन अभ्यास किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?	**लागू नहीं**

तिथि : 29 अप्रैल, 2019
स्थान : संबलपुर

कृते विजय धनिराम एंड कंपनी.
(सनदी लेखाकार)
पंजी. संख्या- 324629ई

ह/-
सनदी लेखाकार विजय कुमार अग्रवाल
प्रोपराइटर
सदस्य संख्या-060126

<u>अनुपालन प्रमाण पत्र</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत् भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/उप-निर्देश के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए हमने महानदी कोल रेलवे लिमिटेड की लेखा परीक्षा आयोजित की है तथा यह प्रमाणित किया है कि हमें जारी किये गए निर्देश/उप निर्देश का हमने अनुपालन किया है।

r̈ K : **29 अप्रैल, 2019**
H :

कृते विजय धनिराम एंड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
पंजीकरण संख्या – 324629ई

हा-
सनदी लेखाकार विजय कुमार अग्रवाल
प्रोपराइटर
सदस्य संख्या-060126

अनुलग्नक – III

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनके द्वारा लेखा परीक्षा, दिनांक 29 अप्रैल, 2019 में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैने भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण ना करने का निर्णय किया है।

कृते एवं भारत के लेखा नियंत्रक एवं
महालेखाकार की ओर से
हस्ता/-
(मौसूमी राय भट्टाचार्य)
महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-II
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 10.05.2019